न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/427

ओमप्रकश उर्फ बबलू आत्मज कल्याण जी जाति बैरवा निवासी ग्राम बडा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

बनाम

1. कुलदीप कौर पत्नी स्वर्गीय प्रताप सिंह ।
2. अमरजीत सिंह आत्मज स्वर्गीय प्रताप सिंह ।
3. रणजीत सिंह गिल पुत्री स्वर्गीय प्रताप सिंह पत्नी नरेन्द्र कुमार ।
4. हरचरण जीत सिंह आत्मज स्वर्गीय प्रताप सिंह ।
5. इन्द्रजीत कौर पुत्री स्वर्गीय प्रताप सिंह पत्नी सतनाम सिंह निवासीगण नई बस्ती सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री भारत सिंह अडसेला, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 10.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 से 05 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53, 188 एवं 183 के अन्तर्गत वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 181 की रकबा 31 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि का खातेदार कल्याण लाल आत्मज श्री चन्दा चमार था । उक्त भूमि के सेटलमेंट के बाद नये खसरा नम्बर 1073 रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1075 रकबा 1.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.53 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 1077 की 1.40 हैक्टर कुल 04 किता की 5.25 हैक्टर कायम किये । उक्त भूमि के खातेदार कल्याण लाल ने दक्षिण दिशा की तरफ 05 बीघा भूमि प्रताप सिंह आत्मज श्री केसरसिंह जाति मजहबी सरदार को 10,000/— रूपये में विक्रय कर कब्जा

संभला दिया तथा विक्रय पत्र का दिनांक 15.01.1981 को पंजीयन करवा दिया । जिस समय प्रताप सिंह ने भूमि सन् 1981 में क्रय की उस समय फ्रेगमेन्ट से कम भूमि का पंजीयन नहीं होता था इस कारण उस समय क्रयशुदा भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो सकी । इस कारण प्रताप सिंह का नाम खातेदार में दर्ज नहीं हुआ किन्तु उनका कब्जा बना रहा । सन् 1992 में यह प्रतिबन्ध हटा परन्तु सन् 1992 में प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई । वादीगण तीन वर्ष पूर्व पंजाब चले गये तथा भूमि प्रतिवादीगण को संभला गये थे और जब वादीगण वापस आये और उन्होंने अपनी भूमि मांगी तो प्रतिवादीगण ने भूमि का कब्जा देने से इंकार कर दिया । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण को ग्राम चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1073 की 1.89 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1075/1 की रकबा 0.57 हैक्टर भूमि में से 0.80 हैकटर का खातेदार घोषित किया जाकर उस पर वादीगण को कब्जा दिलवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें और न ही उसे भारयुक्त करें ।

4. प्रतिवादी क्रम 01 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2018 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 1 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के वाद को विधि–विरूद्ध रूप से बिना प्रतिवादपत्र के अभिवचनों, साक्ष्य मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये डिक्री किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वर्णित तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 15.01.1981 फर्जकारी रूप से तैयार किया गया दस्तावेज है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी के प्रोविजन्स के विपरीत है । तथाकथित विक्रय पत्र में वर्णित विक्रेता कल्याण की जाति बैरवा अनुसूचित जाति है तथा क्रेता प्रताप सिंह सिक्ख सवर्ण जाति से हैं । इस कारण उक्त विक्रय धारा 42 बी के उल्लंघन में है । उक्त विक्रय पत्र से वादीगण अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी में कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई ।

8. दिनांक 28.01.2020 को पक्षकारान ने न्यायालय में उपस्थित होकर एक राजीनामा पेश किया और राजीनामे में यह कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण विवादित आराजी में से किसी प्रकार की भूमि नहीं चाहते है। । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय और डिक्री को निरस्त करवाना चाहते हैं। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमायी जावे ।

9. राजीनामे को पक्षकारान ने न्यायालय में उपस्थित होकर सही होना स्वीकार किया है । अपीलान्टगण को उनके विद्वान् अभिभाषक श्री भारत सिंह अडसेला और रेस्पोडेन्टगण को उनके विद्वान् अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल ने तस्दीक किया । राजीनाम बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अपीलान्ट प्रतिवादी के खिलाफ यह कथन किया गया था कि वादग्रस्त आराजी प्रताप सिंह जो कि उनके पिता है को सन् 1981 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर कब्जा संभला दिया था, अतः उन्हें इसका खातेदार कृषक घोषित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने इस दावे को डिक्री करते हुए वादीगण को हाल खसरा नम्बर 1075/01 रकबा 0.57 हैक्टर और खसरा नम्बर 1073 रकबा 1.89 हैक्टर में से दक्षिण पश्चिम की 0.23 हैक्टर कुल 0.80 हैक्टर का खातेदार कृषक घोषित किया है ।

11. प्रस्तुत अपील में पक्षकारान ने इस डिक्री को निरस्त करने की प्रार्थना की है और रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक के द्वारा फर्द के साथ सिविल न्यायाधीश, उत्तर कोटा के निर्णय दिनांक 04.02.2020 की प्रमाणित प्रति पेश की है । निर्णय के अनुसार विद्वान् सिविल न्यायाधीश ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.01.1981 जिसका पंजीयन उप पंजीयक कोटा के यहॉ जिल्द संख्या 371 कम संख्या 191 पृष्ठ संख्या 157 से 161 पर हो रहा है को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया है । विद्वान् सिविल न्यायाधीश कोटा उत्तर के इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हम अपील का बरूए राजीनामा निरस्तारण किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट बरूए राजीनामा स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2018 निरस्त किया जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/427

ओमप्रकश उर्फ बबलू आत्मज कल्याण जी जाति बैरवा निवासी ग्राम बडा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. कुलदीप कौर पत्नी स्वर्गीय प्रताप सिंह ।
2. अमरजीत सिंह आत्मज स्वर्गीय प्रताप सिंह ।
3. रणजीत सिंह गिल पुत्री स्वर्गीय प्रताप सिंह पत्नी नरेन्द्र कुमार ।
4. हरचरण जीत सिंह आत्मज स्वर्गीय प्रताप सिंह ।
5. इन्द्रजीत कौर पुत्री स्वर्गीय प्रताप सिंह पत्नी सतनाम सिंह निवासीगण नई बस्ती सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 179/दावा/2015

1. कुलदीप कौर पत्नी स्वर्गीय प्रताप सिंह ।
2. अमरजीत सिंह आत्मज स्वर्गीय प्रताप सिंह ।
3. रणजीत सिंह गिल पुत्री स्वर्गीय प्रताप सिंह पत्नी नरेन्द्र कुमार ।
4. हरचरण जीत सिंह आत्मज स्वर्गीय प्रताप सिंह ।
5. इन्द्रजीत कौर पुत्री स्वर्गीय प्रताप सिंह पत्नी सतनाम सिंह निवासीगण नई बस्ती सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. ओमप्रकश उर्फ बबलू आत्मज कल्याण जी जाति बैरवा निवासी ग्राम बडा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 10.02.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री भारत सिंह अडसेला एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट बरूए राजीनामा स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2018 निरस्त किया जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 10.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

10/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा